प्रेस नोट-54

दिनांक- 29.08.2025

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे Operation Conviction अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोग अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दहेज हत्या के अभियुक्त को मा0न्यायालय द्वारा 12 वर्ष का कठोर कारावास एंव 15,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

पुलिस अधीक्षक अमेठी के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चल रहे अभियोगों में **Operation Conviction** अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोगों में अभियोजन अधिकारी / न्यायालय पैरोकार एवं मानीटिरिग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप माननीय न्यायालय सुल्तानपुर में मु0अ0सं0 1057/14 धारा 498 ए, 304बी भादवि ¾ डी0पी0 एक्ट थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी के अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामअवध कोरी निवासी रामपुर मठा थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी को दोष सिद्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई, परिणाम स्वरुप माननीय न्यायालय एएसजे/एफटीसी द्वितीय सुल्तानपुर द्वारा अभियुक्त को आज दिनांक 29.08.2025 को धारा 304बी भादवि में 12 वर्ष का कठोर कारावास, धारा 498ए भादवि में 02 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10,000 रू0 अर्थदण्ड, धारा ¾ डीपी एक्ट में 01 वर्ष कठोर कारावास व 5,000 रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

प्रश्नगत अभियोग में वादी मुकदमा ने दिनांक 05.10.2014 की तहरीरी सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री की दहेज के लिए मृत्यु कारित करने पर मु0अ0सं0 1057/2014 धारा 498ए, 304बी भादवि ¾ डी0पी0 एक्ट थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी पर पंजीकृत होकर विवेचक क्षेत्राधिकारी श्री सुमित सिंह द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान प्रयाप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त आरोप पत्र संख्याः ए-186 दिनांक 20.10.2014 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।